

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(4) आप्रसआ/सामान्य/2016/14608-40 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा राज्य के अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर के 5656 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में आवियाना शुल्क की वसूली स्थगन कर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः—अधिसूचना की प्रति

भवदीय,
Rohit Kumar 30/11/16
(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग,
राज0 जयपुर।

एफ 1(4)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2016/14657
जयपुर, दिनांक 30-11-2016